मैनुअल—17

प्रेषक,

महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड देहरादून

473
26-8-17

सेवा में,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक : महा०नि० 8586 / 2017–18 दिनांक: 24 अगस्त, 2017

विषय : शून्य छात्र संख्या वाले विद्यालयों में कार्यरत शिक्षको की पदस्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की विभिन्न समीक्षा बैठकों में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर यह संज्ञान आया है कि राज्य के कतिपय जनपदों में शून्य छात्र संख्या वाले विद्यालयों में अभी भी शिक्षक कार्यरत है

उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि :-

01– शून्य छात्र संख्या वाले विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की पदस्थापना उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली–2013 के प्राविधानों के अनुसार प्रथमतः आर०टी०ई० मानकानुसार निकटवर्ती विद्यालयों मे किया जायेगा।

02 विकास खण्ड सवर्ग के शिक्षकों को विकास खण्ड के अन्तर्गत ही समायोजित/ पदस्थापित किया जाय एवं सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर औपबन्धिक रूप से कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षा मित्रों को प्रथमतः ग्राम पंचायत तदुपरान्त न्याय पंचायत एवं उसके बाद विकास खण्ड के अन्तार्गत ही समायोजित किया जायेगा।

03– विद्यालय में उपलब्ध सम्पूर्ण अभिलेख यथा छात्र पंजीकरण पंजिका, आय व्यय पंजिका एवं उपस्थिति पंजिका आदि तथा विद्यालय में उपलब्ध उपकरण, फर्नीचर आदि को सूचीबद्ध करते हुए निकटवर्ती विद्यालय के प्रधानाध्यापक को हस्तगत करा दिया जाय। हस्तगत सामग्री की सूची की एक प्रति उप शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विकास खण्ड के कार्यालय में सुरक्षित रखा जाय।

04– विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना से सम्बन्धित सामग्री निकटस्थ विद्यालय को सूची बनाते हुए प्र०अ० को हस्तगत करा दिया जाय। हस्तगत सामग्री की सूची की एक प्रति उप शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विकास खण्ड के कार्यालय में सुरक्षित रखा जाय.

05– विद्यालय भवन को ग्राम पंचायत को सामुदायिक उपयोग व देखरेख हेतु इस आशय से हस्तगत कराया जाय कि भविष्य में विद्यालयी शिक्षा विभाग की आवश्यकतानुसार विद्यालय भवन की मांग पर उसे वापस शिक्षा विभाग को हस्तगत कराना होगा। इस आशय का अनुबन्ध पत्र ग्राम पंचायत/न्याय पंचायत से प्राप्त करा लिया जाय।

06– शून्य छात्र संख्या वाले विद्यालय के सेवित ग्राम से भविष्य में किसी छात्र/छात्रा के प्रवेश की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना के दृष्टिगत उसके निकटवर्ती राजकीय प्राथमिक विद्यालय को चिन्हित किया जाय, जिससे बच्चे का पंजीकरण विद्यालय में किया जा सके।

07– शून्य छात्र संख्या वाले विद्यालय का पुनः संचालन 10 से अधिक छात्र पंजीकरण के ही दशा में किया जा सकेगा एवं तदनुसार ही शिक्षक की व्यवस्था की जायेगी।

अतः उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन करते हुए शून्य छात्र संख्या वाले विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की पदस्थापना आवश्यकता वाले विद्यालयों में करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

महानिदेशक
उत्तराखण्ड देहरादून

संख्या/ /XXIV(1)/2016–16/2014 टी0सी0–II

प्रेषक,

डॉ. रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा देहरादून।

[illegible] को [illegible] सभी [illegible] जिले [illegible]

2.P.M

(सुधांशु सिंह चौहान)

—शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक)   देहरादून दिनांक/ नवम्बर, 2016

विषय:–उच्चीकृत उच्च प्राथमिक विद्यालयों को पृथक संचालित किए जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त जनआकांक्षाओं की पूर्ति के दृष्टिगत लगभग 1079 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण किया गया है। प्रदेश की विषम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि सम्भावित है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के उच्चीकरण के फलस्वरूप प्रारम्भिक शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों के पदोन्नति के अवसरों में कमी, समय–समय पर उच्चीकृत विद्यालयों से उच्च प्राथमिक के कार्यरत शिक्षकों का अन्यत्र समायोजन एवं उच्चीकृत उच्च प्राथमिक विद्यालय की प्रशासनिक एवं शैक्षणिक व्यवस्था पर सम्यक् विचारोपरान्त उच्चीकृत उच्च प्राथमिक विद्यालयों का पृथक संचालन के संदर्भ में निम्न निर्णय लिए जाते हैं:–

(1) वर्तमान तक उच्चीकृत किये गये ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालय जहां पर उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक कार्यरत हैं, पृथक इकाई के रूप में संचालित किये जायेंगे। ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक संवर्ग के ऐसे प्राथमिक शिक्षकों की पदस्थापना की जायेगी, जो उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 2014 के प्राविधानुसार सहायक अध्यापक, एल0टी0 के विभिन्न विषयों में नियुक्ति हेतु दिये गये प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता पूर्ण करते हों। अन्य प्राथमिक शिक्षकों को अन्यत्र समायोजित किया जायेगा। ऐसे विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, हाईस्कूल को

प्राथमिक शिक्षक संवर्ग के योग्यताधारी शिक्षकों में से ही पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। तदनुसार नियमावली में आवश्यक व्यवस्था बनाई जाएगी।

(2) ऐसे उच्चीकृत उच्च प्राथमिक विद्यालय जहां प्राथमिक शिक्षकों का अन्यत्र समायोजन किया जा चुका है तथा वर्तमान में प्राथमिक संवर्ग के शिक्षक कार्यरत नहीं हैं, के पदों को आवश्यकतानुसार अन्य उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुनरावंटित अथवा समाप्त किया जायेगा।

उक्तानुसार उच्चीकृत उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पृथक संचालन हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(डॉ0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव

क्या व दिनांक तदैव।

तेलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एव अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ननूरखेड़ा, देहरादून।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नन्दन सिंह बिष्ट)
अनु सचिव